



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230771
CG-DL-E-27102021-230771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]
No. 66]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2021

आ.अ. 68(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निर्देश देता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 16.03.2019 की अधिसूचना सं0 434/हि.प्र.-लो.स./2019(2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे।

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों के स्तम्भ संख्या 1 की मद के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी।

तालिका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी (मतगणना)
1	2
2-मण्डी	1. मण्डलायुक्त मण्डी के सहायक आयुक्त
	2. जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी, मण्डी
	3. उपायुक्त मण्डी के सहायक आयुक्त
	4. जिला राजस्व अधिकारी, मण्डी

उपर्युक्त लिखित अधिकारियों को केवल पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की मतगणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा वे उप-चुनाव, 2021 की समाप्ति के तुरन्त पश्चात ही हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

[सं. 434/हि.प्र.-लो.स./2019(2)]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2021

O.N. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendment shall be made in the Notification No. 434/HP-HP/2019(2) dated 16.03.2019, as amended from time to time relating to the appointment of Assistant Returning Officers for Parliamentary Constituency in the State of Himachal Pradesh.

In Column 2 of the table appended to the said Notification for the existing entry in column 2 against item given in column 1 the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. and Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer (Counting)
1	2
2-Mandi PC	1. Assistant Commissioner to Divisional Commissioner, Mandi
	2. District Tourism & Development Officer, Mandi
	3. Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Mandi
	4. District Revenue Officers, Mandi

The Officers mentioned above, have been appointed as Assistant Returning Officer for counting of Postal Ballot & ETPBS purpose only and they shall cease to function as Assistant Returning Officer, with the completion of the Bye-Election, 2021.

[No. 434/HP-HP/2019(2)]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.